बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना संख्या– 6/अ0प्र0–2–06/2015 8051 पटना, दिनांक 20.11.19

अधिसूचना

राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित " बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नय योजना) नियमावली–2003 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्ग दिनांक 10.10.2019 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गयी। समिति के अनुशंस के अनुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा सवर्ग–2 के सहायक अभियंता (असैनिक) /अभियंत सहायक से सहायक अभियंता के पद पर समायोजित की श्रेणी के अभियंताओं के सेवा/संव में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 12 वर्षो के नियमित सेवा होने के फलस्वरूप सम्यव विचारोपरान्त निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ–6 में अंकित तिथि र प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0सं	पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला	मूल कोटि की संयुक्त वरीयता–2016	जन्म तिथि	अभियंता संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन की देय तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन देय वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	परवेज आलम/पश्चिमी चम्पारण	283	10.06.1966	31.12.1987 क0अ0 29.09.2001 स0अ0	31.12.1999	वेतनमान–6500–10500/–
2	श्री कृष्णकांत सिंह/पटना	286	13.01.1963	31.12.1987 कनीय अभियंता	31.12.1999	वेतनमान–6500–10500/–

2. यह वृत्ति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3/एम–2–5वि0पु0–28/99–4685 वि(2) दिनांक 25.06.2003 में उल्लेखित शर्त्तो एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1802वि(2) दिनांक 23.03.2006 के अधीन है जो निम्नलिखित है:–

(I) यह योजना दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है।

(II) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम –22(1) ए(i) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रू0 का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जाएगा।

(III) यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/11/19

(संजय दूबे)

सरकार के अपर सचिव

Chandan

ज्ञापांकः– 6/अ0प्र0–2–06/2015 8052 पटना, दिनांक 20.11.19
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वैयाक्तिक दावा निर्धारण कोषांग(वित्त विभाग) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/11/19
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6/अ0प्र0–2–06/2015 8052 पटना, दिनांक 20.11.19
प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/11/19
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6/अ0प्र0–2–06/2015 8052 पटना, दिनांक 20.11.19
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/11/19
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6/अ0प्र0–2–06/2015 8052 पटना, दिनांक 20.11.19
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी–2, 3, 4, 5 एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/11/19
सरकार के अपर सचिव

Chandan